# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

पीठासीन अधिकारी– श्री अमानुल्लाह खान
आर.ए.एस.

| मिसल संख्या | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 14 / प्रा.पत्र / 2014 | 05.02.2014 | 28.10.2020 |

श्री राजेन्द्र कुमार विजयवर्गीय, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी। –प्रार्थी

–बनाम–

1. श्री भानू प्रकाश माहेश्वरी पुत्र श्री प्रभु लाल माहेश्वरी, मालिक दुकान मैसर्स दीपक किराना स्टोर चौमुखा बाजार बडोदिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी। निवासी–वार्ड नं. 4 चौमुखा बाजार बडोदिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. श्रीमती सावित्री शर्मा पत्नि श्री शिव रतन शर्मा प्रोपराईटर फर्म मैसर्स भाग्य श्री टी. इण्डस्ट्रीज चितोड रोड बून्दी। निवासी–मोची बाजार बून्दी।
3. श्री मैसर्स भाग्य श्री टी.इण्डस्ट्रीज चितोड रोड बून्दी, ऑफिस मोची बाजार बून्दी। (सप्लायर्स फर्म)
4. श्री शिव रतन शर्मा पुत्र श्री कल्याण शर्मा मालिक मैसर्स शर्मा टी.स्टोर्स मोची बाजार बून्दी। निवासी–मोची बाजार बून्दी।
5. मैसर्स शर्मा टी.स्टोर्स (पैकिंग कर्ता), ऑफिस मोची बाजार बून्दी। –अप्रार्थी

जुर्म अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii)
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से– श्री राजेन्द्र कुमार विजयवर्गीय का स्वर्गवास होने से उनके स्थान पर श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बून्दी उपस्थित है।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दयाकृष्ण विजय उपस्थित है।

अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री धनकुमार जैन उपस्थित है।

## –: निर्णय :–

श्री राजेन्द्र कुमार विजयवर्गीय, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर न्याय निर्णयन हेतु प्रार्थना–पत्र में निम्नांकित बिन्दु अंकित किये है:–

1. मैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)

26.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/775 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षैत्र, जिला बून्दी आंवटित किया गया है और अधिसूचना क्रमांक एफएसएसए/नोटिफिकेशन/ 2011/496 दिनांक 11.03.2012 के अनुसार बून्दी जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षैत्र में आते है।

2. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.10.2013 को समय 01:15 पी.एम. पर नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु मैसर्स दीपक किराना स्टोर चौमुखा बाजार बडोदिया तह0 हिण्डोली की दुकान पर पहुंचा। वहां पर श्री भानू प्रकाश माहेश्वरी आ0 प्रभु लाल माहेश्वरी, विक्रेता एवं फर्म के मालिक की हैसियत से उपस्थित थे। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जिसका उल्लेख मौका फर्द में हैं।
3. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि अन्य खाद्य पदार्थ सहित दुकान पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ श्री ब्राण्ड चाय 250 ग्राम पौली पैकिंग के 15 पैक्टिस उपलब्ध थे। उक्त खाद्य पदार्थ श्री ब्राण्ड चाय में मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर अभियुक्त को फार्म नं. 05ए पर नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना देते हुये, पौली पैकिंग सहित ही श्री ब्राण्ड चाय, पौली पैकिंग 8 पैकिट (2 किलोग्राम) वास्ते जांच खरीदे। जिसकी कीमत विक्रेता को रू. 420/- नगद देकर रसीद प्राप्त की।
4. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही खरीदशुदा खाद्य पदार्थ श्री ब्राण्ड चाय 250 ग्राम पाउच पैकिंग के 8 पैकिटों को साफ, सुखे एवं स्वच्छ प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर-बराबर भरा। प्रत्येक भाग पर निर्धारित लेबल लगाये और लेबलों पर खाद्य पदार्थों का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक यू-412 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर दोनों किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बून्दी द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. यू-412 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर चार-चार जगह नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। गवाहों एवं उन्होनें चारों नमूना भागों पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की और पढकर सुनाई जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहों ने हस्ताक्षर किये एवं मैंने भी हस्ताक्षर किये।
5. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं.-6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बन्दी (राज०)

चौथा भाग मय फार्म नं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी. ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

6. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी के पत्र कमांक एफएसएसए/2013/391 दिनांक 02.12.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एफएसएसएल/कोटा/2013/407 दिनांक 21.11.2013 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया श्री ब्राण्ड चाय, मिसब्राण्ड (Misbranded) पाया गया।
7. भाग्य श्री ब्राण्ड चाय 250 ग्राम पौली पैकिंग को मैसर्स दीपक किराना स्टोर चौमुखा बाजार बडोदिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी ने मैसर्स भाग्य श्री टी.इण्डस्ट्रीज चितोड रोड बून्दी, ऑफिस मोची बाजार, बून्दी। (सप्लायर्स फर्म) से बिल संख्या 17934 दिनांक 25.07.2013 के द्वारा खरीदना बताया एवं मौके पर बिल पेश किया। मैसर्स भाग्य श्री टी.इण्डस्ट्रीज चितोड रोड बून्दी, ऑफिस मोची बाजार बून्दी। (सप्लायर्स फर्म) के द्वारा प्रस्तुत फर्म के पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार यह फर्म एक रजिस्टर्ड फर्म है तथा इस फर्म के प्रोपराईटर श्रीमती सावित्री शर्मा पत्नि श्री शिव रतन शर्मा निवासी मोची बाजार बून्दी है। अतः इस फर्म के प्रोपराईटर एवं सप्लायर्स फर्म को इस प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। मैं भाग्य श्री टी. इण्डस्ट्रीज मोची बाजार बून्दी (सप्लायर्स) ने उक्त खाद्य पदार्थ को मैं शर्मा टी स्टोर्स, मोची बाजार बून्दी (पैकिंगकर्ता) ने बिल संख्या 1257 दिनांक 12.05.2013 के द्वारा खरीदना बताया एवं बिल प्रस्तुत किया। मैं शर्मा टी स्टोर्स, मोर्च बाजार बून्दी (पैकिंगकर्ता) के द्वारा प्रस्तुत फर्म का पंजीयन फर्म प्रमाण पत्र के अनुसार यह फर्म रजिस्टर्ड फर्म है। तथा इसके फर्म के मालिक श्री शिव रतन शर्मा आ0 कल्याण शर्मा निवासी मोची बाजार बून्दी है। अतः इस प्रकरण में पैंकिंगकर्ता फर्म के मालिक को अन्तिम पक्षकार बनाया गया है।
8. मेरे द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही कर श्रीमान अभिहित. अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को पत्रावली अभियोजन मंजूरी के लिये अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा पत्र कमांक एफएसएसए/13/434 दिनांक 18.12.2013 के द्वारा खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ श्री ब्राण्ड चाय का भण्डारण एवं विकय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर, धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित किया जावे।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की आरे से दिनांक 10.03.2015 को जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी उक्त खाद्य पदार्थ श्री ब्राण्ड चाय का निर्माता नहीं है। एवं उक्त प्रकरण में निर्माता पक्षकार है,अप्रार्थी द्वारा वारंटी प्रस्तुत की हुयी है। लेबल से संबंधित जॉच जन विशलेषक द्वारा नहीं की जा सकती यह केवल खाद्य सुरक्षा अधिकारी का काम है,इस कारण जन विशलेषक की रिर्पोट के आधर पर अप्रार्थी के विरूध कोई कार्यवाही प्रस्तुत नहीं की जा सकती। बेसनं0 आदि अंकित करने का दायित्व निर्माता का है। इस कारण भी अप्रार्थी के विरूध कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। पक्षकारान के मध्य सदभाविक विवाद है,जिसे विस्तुत साक्ष्य के आधार पर निर्णय किया जा सकता है। अतः सहानुभूतिपूर्व विचार कर निस्तारण करने की कृपा करे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)

अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की आरे से दिनांक 18.05.2015 को जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.7.2013 को बिल सं0 17934 द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को भाग्यश्री चाय ब्राण्ड के पैकेट बेचे गये थे । अप्रार्थीगण 2 लगायत 5 द्वारा पौली पेक (मिसब्राण्ड) के पेकेट अप्रार्थी संख्या 1 को नहीं बेचे गये थे। अप्रार्थी संख्यया 4 पैकिंगकर्ता फर्म का मालिक है जो ब्रान्डेड भाग्यश्री चाय बेचता है उक्त अप्रार्थीगण द्वारा चाय के पेकिटो में कोई मिलावट नहीं की जाती है केवल पोली पेक के आधार प्रार्थी उक्त चाय के पैकिटो को मिसब्राण्ड नहीं बता सकता है। चाय में कोई मिलावट नहीं पायी गयी है। अप्रार्थीगण प्रत्येक चाय के पैकिटो पर कोन्टेन्टस–टी,नेट वेट 250 ग्राम एम.आ.पी. 70/–रू0,बेचनंम्बर पैक्कड नं0 अगस्त 2013 एवं एक्सपायरी दिनांक 12 मई उक्त पैकेटो पर अंकित है। इस तरह से उत अप्रार्थीगण 2 लगायत 5 ने कोई मिलावट का कार्य नहीं किया है और न ही कोई मिसब्राण्ड चाय का विकय किया है। अप्रार्थीगण बिल व रसीद से ही अपना व्यवसाय करते है तथा फर्म रजिस्टर्ड है। इस कारण भी अप्रार्थी के विरूध कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। पक्षकारान के मध्य सदभाविक विवाद है,जिसे विस्तुत साक्ष्य के आधार पर निर्णय किया जा सकता है। अतः सहानुभूतिपूर्व विचार कर निस्तारण करने की कृपा करे।

बहस प्रार्थी व अप्रार्थीगण समाअत की गई।

प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थीगणो द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ भाग्य श्री ब्राण्ड चाय 250 ग्राम पौली पैकिंग का विनिर्माण, भण्डारण एवं विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन एवं खाद्य रजिस्ट्रेशन/लाईसेन्स के खाद्य पदार्थ विकय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माना आरोपित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण द्वारा चाय के पैकिटों में कोई मिलावट नहीं की जाती है और न ही कोई मिसब्राण्ड चाय का विकय किया है। अतः प्रकरण का सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निस्तारण करने की कृपा करे।

हमने पत्रावली व उसके साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस प्रार्थी व अप्रार्थीगण के अधिवक्ता पर मनन किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न सभी दस्तावेजात निर्धारित प्रपत्र में व समय अवधि में नियमानुसार है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना भाग्य श्री ब्राण्ड चाय 250 ग्राम पौली पैकिंग खाद्य विश्लेषक, कोटा की जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्ड घोषित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने प्रतिष्ठान पर मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ भाग्य श्री ब्राण्ड चाय 250 ग्राम पौली पैकिंग का बिना खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ का भण्डारण एवं विकय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर आम जनता को विकय कर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड कर रहा है जिसके लिए अप्रार्थी संख्या 2 व 3 भी दोषी है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 श्रीमती सावित्री शर्मा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ भाग्य श्री ब्राण्ड चाय 250 ग्राम पौली पैकिंग की आपूर्ति की गई है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 श्रीमती सावित्री शर्मा को अप्रार्थी संख्या 4 व 5 श्री शिव रतन शर्मा पुत्र श्री कल्याण शर्मा मालिक मैसर्स शर्मा टी.स्टोर्स मोची बाजार,बून्दी भाग्य श्री ब्राण्ड चाय 250 ग्राम पौली पैकिंग के मालिक/लाईसेन्स धारक है उक्त मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ भाग्य श्री ब्राण्ड चाय 250 ग्राम पौली पैकिंग की विकय हेतु आपूर्ति की गई है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 का कृत्य दोषसिद्व होने से खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 की प्रदत्त

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)

..........................................................................

पक्ष समर्थन स्वीकार है।

शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 को 10,000/– (अक्षरे–दस हजार रूपये), अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को 20,000/– (अक्षरे–बीस हजार रूपये) एवं अप्रार्थी संख्या 4 व 5 को 20,000/– (अक्षरे–बीस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(असानुल्लाह खान, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)